

8/2020

भालीत कुमार / अक्षय कुमार

दिनांक

आज्ञा पत्र

12.6.24

पत्रावली पेशा कमील अपील को पूर्व पेसी पर तद्दायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से श्रेष्ठ रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश कर अन्याय आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जाएगी। आज दिनांक तक अपीलान्त ने रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलान्त अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलान्त आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फौजल शूमार लेकर नम्बर को कानून के तहत करती तहमील दाखिल दफतर हो।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प इन्सुचु)

LC पत्रावली
सामग्री

